अनुसूची 2— नियम सं० 113

4768

संपत्ति अवर

प्रकरण पत्र संख्या 19.....

मैं/हम कौशल्या देवी पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पुत्र...

.....

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहार तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा अपेक्षित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित अनुसूचियों में दर्ज 30/06/2006 को Gillebi... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवचारों के पता है अतः ...

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Smt Kaushalya Devi W/o

Misc token no. Serial no. 13842

Year Date 06/11/2019

Received from

Following fees:

F (i)- 0 F (iii)- 0 G- 0

F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0

Total- ₹ 300/-

Registering Officer

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की अभिवृद्धि के ग्रन्थ निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza- Shahpur Khalilpur Plot No- 870 Khata No- 19 Thana No - 54 Tauzi No - 5298 Plot Area- 13.5 decimal. Distt - Patna							

1. विवरणों के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। अवधि की समाप्ति में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailesh

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 6/11/19

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (बिहार)

6/11/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बायर्स) और अनुक्रमणियाँ (इन्डेक्स) की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये आवेदन [illegible] निबंधित दस्तावेजों के संव्यवहारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बायर्स और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बा प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारी और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उ संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 3670 दिनांक 8/11/19

आवेदक श्री Kaushalya Devi w/o Rajendra Rai

का अवभार प्रमाण-पत्र द्वारा LIC Housing Finance Ltd.

का उनके पत्र संख्या ——— दिनांक 29/10/19 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

6/11/19